2014 का विधेयक संख्यांक 97

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हंडरड एंड टवेन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट) बिल, 2012 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ इक्कसीवां संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अनुच्छेद 124 का संशोधन।

2. संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) में,—

(क) ''उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे'' शब्दों के स्थान पर ''अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) दूसरे परंतुक में, ''परंतु यह और कि'' शब्दों के स्थान पर ''परंतु'' शब्द रखा जाएगा;

नए अनुच्छेद 124क, अनुच्छेद 124ख और अनुच्छेद 124ग का अंत:स्थापन।

3. संविधान के अनुच्छेद 124 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग।

''124क. (1) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग होगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, अध्यक्ष — पदेन;

(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ज्येष्ठता से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश — सदस्य, पदेन;

(ग) विधि और न्याय का प्रभारी संघ का मंत्री — सदस्य, पदेन;

(घ) प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विरोधी दल के नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है वहां, लोक सभा में एकल सबसे बड़े विरोधी दल का नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति—सदस्य:

परंतु कोई एक विख्यात व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों या महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे:

परंतु यह और कि कोई विख्यात व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल आयोग के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर आक्षेपित या अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग के कृत्य।

124ख. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,—

(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना;

(ख) एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश करना; और

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सिफारिश किया गया व्यक्ति सक्षम और सत्यनिष्ठ है।

विधि बनाने की संसद् की शक्ति।

124ग. संसद, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधाशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधाशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग को विनियम द्वारा उसके कृत्यों

के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषयों के लिए जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेगी।''

अनुच्छेद 127 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 127 के खंड (1) में ''भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से'' शब्दों के स्थान पर ''राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसको किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से'' शब्द रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 128 का संशोधन।

5. संविधान के अनुच्छेद 128 में ''भारत का मुख्य न्यायमूर्ति'' शब्दों के स्थान पर ''राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग'' शब्द रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 217 का संशोधन।

6. संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) में ''भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से'' शब्दों से आरंभ होने वाले और ''परामर्श करने के पश्चात्'' शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर ''अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर'' शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 222 का संशोधन।

7. संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) में, ''भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श करने के पश्चात्'' शब्दों के स्थान पर ''अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर'' शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 224 का संशोधन।

8. संविधान के अनुच्छेद 224 में,—

(क) खंड (1) में ''तो राष्ट्रपति सम्यक् रूप से'' शब्दों के स्थान पर ''तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से, सम्यक् रूप से'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (2) में ''तब राष्ट्रपति सम्यक् रूप से'' शब्दों के स्थान पर ''तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से, सम्यक् रूप से'' शब्द रखे जाएंगे;

अनुच्छेद 224क का संशोधन।

9. संविधान के अनुच्छेद 224क में ''किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से'' शब्दों के स्थान पर पर ''किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से वह,'' शब्द रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 231 का संशोधन।

10. संविधान के अनुच्छेद 231 के खंड (2) के उपखंड (क) का लोप किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के अधीन नियुक्त किए जाते हैं और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के खंड (1) के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ न्यायाधीश और सेवा निवृत्त न्यायाधीश संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 127 के खंड (1) और अनुच्छेद 128 के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के लिए अपर न्यायाधीशों और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है और उच्च न्यायालयों की बैठकों के लिए सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन की जाती है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किया जाता है।

2. उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संगम बनाम भारत संघ के मामले में और तृतीय न्यायाधीश मामले में वर्ष 1998 की अपनी सलाहकारी राय में ''सहमति'' के रूप में ''परामर्श'' के अर्थ के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) और अनुच्छेद 217 के खंड (1) का निर्वचन किया था। परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का ज्ञापन तैयार किया गया था और नियुक्ति के लिए उसका अनुसरण किया जा रहा है।

3. सुसंगत सांविधानिक उपबंधों, उच्चतम न्यायालय की उद्घोषणाओं और विख्यात विधिवेत्ताओं के परामर्शों का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यह महसूस किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक व्यापक आधार वाला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित किया जाए। उक्त आयोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विख्यात व्यक्तियों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सार्थक भूमिका उपलब्ध कराएगा और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को सम्मिलित करते समय भी प्रतिभागियों को जवाबदेह बनाएगा।

4. संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 संविधान के सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने के लिए और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने के लिए एक समर्थकारी सांविधानिक संशोधन है। प्रस्तावित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 124 के पश्चात् नए अनुच्छेद 124क, अनुच्छेद 124ख और अनुच्छेद 124ग को अंत:स्थापित करने के लिए है। उक्त विधेयक प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना और कृत्यों के लिए भी उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि संसद्, विधि द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगी और वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए विनियमन द्वारा प्रक्रिया, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषय, जो आवश्यक समझे जाएं, अधिकथित करने के लिए समर्थ कर सकेगी।

5. प्रस्तावित विधेयक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति को व्यापक आधारिक बनाने के लिए है, यह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विख्यात व्यक्तियों की भागीदारी को समर्थ बनाता है और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करता है।

6. विधेयक, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है

नई दिल्ली;
8 अगस्त, 2014

रवि शंकर प्रसाद

उपाबंध

भारत का संविधान से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 4

संघ की न्यायपालिका

उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।

124. (1) * * * * * *

(2) उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है:

परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा:

परन्तु यह और कि —

(क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेखे द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

* * * * * *

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति।

127. (1) यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय का किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित है और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा।

* * * * * *

उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति।

128. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा:

परन्तु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

* * * * * *

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें।

217. (1) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है:

परंतु—

(क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हठाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा;

(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को, अंतरिम किए जाने पर रिक्त हो जाएगा।

* * * * * *

किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण।

222. (1) राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा।

* * * * * *

अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति।

224. (1) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए तो राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

(2) जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तब राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्ति कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है।

* * * * * *

उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।

224क. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उसे उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा:

परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

* * * * * *

231. (1) * * * * * *

दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।

(2) किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में,—

(क) अनुच्छेद 217 में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश है जिनके संबंध में वह उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है;

* * * * * *

GMGIPMRND—2182LS(S3)—11-08-2014.